

प्रेषक,
एच०पी० सिंह
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
✓निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
३०प्र०, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
विषयः रामपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थ
द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति

ਲੁਖਨਾਤੁ : ਦਿਨਾਂਕ : 27 ਸਿਤਮ਼ਬਰ, 2016

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2933/76/एक/राओप्र०सं०/2016-17 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट से नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मियों तथा पैरास्टेटल एजेंसियों के अधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु जनपद-रामपुर में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-953/2015/2721/69-1-15-14(194)/2015 दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 द्वारा ₹0 3860.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अर्थात ₹0 1544.072 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त संस्थान के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से ₹0 1500.00 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि का व्यय प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में जारा दराननदरा व्यवधान संस्थान का 34/69-1-13-14(31)/2012टीसी(ए), दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
 - प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमद यथा-किंचेन उपकरण, कार्यालय फर्नीचर, एलीवेटर, आडिटोरियम सीट्स, डी०जी० सेट, स्टेशन उपकरण, सुरक्षा उपकरण एवं सेन्ट्रल एयर कंडीशनिंग आदि के क्रय एवं स्थापना सम्बन्धी कार्यमर्तों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करेगी तथा इन कार्यमर्तों के निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना संसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੰਦੀਪ (ਖੜ੍ਹਾ) ਕੇ

5. प्रोयोजना में फर्नीचर, किचेन उपकरण व आडिटोरियम सीट्स एवं अन्य सम्बन्धित कार्यमदों के आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लागत के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
6. उक्त धनराशि शासन/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
8. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रायोजना के अनुसार ही निर्माण कराया जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय किशत की सम्मिलित धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर 15 प्रतिशत की धनराशि तृतीय किशत के रूप में अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात ही तृतीय किशत की धनराशि जारी की जायेगी। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बकाया 5 प्रतिशत की अवशेष धनराशि जारी की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
17. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाये-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर-00-24-वृहद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय

lpsk
(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-608/2016/2124(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायड़ु मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

lpsk
(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।